www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 25.03.2017

सीबीआई ने बैंक को तथाकथित 209 करोड़ रू. (लगभग) की हानि पहुँचाने पर सिंडीकेट बैंक के दो तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक तथा दो तत्कालीन मुख्य प्रबन्धकों एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने सिंडीकेट बैंक की जयपुर स्थित दो शाखा व उदयपुर (राजस्थान) स्थित एक शाखा में हुई धोखाधड़ी से सम्बन्धित शिकायत के आधार पर सिंडीकेट बैंक के दो तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक तथा दो तत्कालीन मुख्य प्रबन्धकों और छ: प्राइवेट व्यक्तियों जिसमें सी.ए., निर्माणकर्ता आदि के सहित विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 467, 468, 471 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया। बैंक को 209 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि हुई।

ऐसा शिकायत में आरोप था कि उक्त आरोपियों ने जाली एवं बनावटी दस्तावेजों के आधार पर सिंडीकेट बैंक की जयपुर व उदयपुर शाखाओं से गृह ऋणों/ क्रेडिट सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आपस में आपराधिक षड़यंत्र किया। सिंडीकेट बैंक के द्वारा भुगतान की गई धनराशि अन्य मद में लगाई गई व आरोपी व्यक्तियों की मालिकाना हक वाली कम्पनियों द्वारा धोखे से बेइमानी पूर्वक निकाल लिया गया, इस प्रकार बैंक को कथित हानि हुई।

आरोपी व्यक्तियों के जयपुर, अजमेर सहित 04 आवासीय/ कार्यालयी परिसरों में आज तलाशी की गई। यह भी बताया जाता है कि एक अन्य मामले, जिसे मार्च 2016 के दौरान दर्ज किया गया था व सीबीआई के द्वारा आरोप पत्रदायर किया गया है उससे दो आरोपी अभी भी त्यायिक हिरासतमें हैं। इसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चिकित्सीय कारणों से एक अन्य आरोपी जमानत पर है।

आगे की जॉच जारी है।

****